राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.4(1)नियम / संशो / विधि / पंरा / 2024 / 304 दिनांक : 27-3-2025

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद्, समस्त(राजस्थान)।

विषय :—राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियमों के तहत प्ररूप 23क एवं 23ख में संशोधनानुसार पट्टा जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत जारी पट्टों के प्ररूप—23क एवं 23ख में संशोधन किया जाकर दिनांक 17 जनवरी, 2025 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है(संलग्न)।

अतः आपसे अनुरोध है कि संबंधित ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया जाकर, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत जारी पट्टों के प्ररूप—23क एवं 23ख में संशोधनानुसार पट्टा जारी किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

(इन्द्रजीत सिंह)
उपायुक्त एवं
शासन उप सचिव(प्रथम)

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 30, सोमवार, शाके 1946- जनवरी 20, 2025 *Pausa 30, Monday, Saka 1946- January 20, 2025*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 17, 2025

जी.एस.आर.97 :- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) नियम,2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्ररूप 23-क और 23-ख का प्रतिस्थापन:- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 से संलग्न विद्यमान प्ररूप 23-क और 23-ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"प्ररूप-23-क

[नियम 157 (1) देखिये]

आवासीय भूमि का पट्टा (पट्टा विलेख)

ग्राम का नाम....................

ग्राम पंचायत.....................

पंचायत समिति...................

जिला................. (राजस्थान)

यह विलेख आज दिनांक...................... को प्रथम पक्ष, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) के अधीन स्थापित पंचायत.....................(पंचायत का नाम), जिसे इसमें इसके पश्चात् "आबंटन प्राधिकारी" कहा गया है और द्वितीय पक्ष 1. .... 2. .... 3. .... इसी प्रकार आगे, पुत्र/, पत्नी/, पुत्री .... निवासी.................. , जिसे इसमें इसके पश्चात् "आबंटिती" कहा गया है, के मध्य किया जाता है।

यतः

इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि, जो इसे लाल रंग में सीमाबद्ध दर्शाती है, आबंटन के प्रयोजन के लिए आबंटन प्राधिकारी में निहित है।

यह पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप-नियम (1) के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर श्री/श्रीमती 1. .... 2. .... 3. .... इसी प्रकार आगे, पुत्र/, पत्नी/, पुत्री.................. निवासी................................. के पक्ष में जारी किया जाता है:-

1. पूर्वोक्त आबंटिती का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रारम्भ की तारीख से पूर्ववर्ती पचास वर्ष से अधिक पुराने संनिर्मित घरों पर कब्जा है या पुराने घर पंचायत आबादी भूमि पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 से ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्ष के दौरान संनिर्मित किये गये हैं।

2. उपाबद्ध मानचित्र योजना में भूमि का क्षेत्र लाल स्याही से चिह्नित है।

3. आबंटिती सरकारी उपक्रम, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था से ऋण लेने के लिए दस्तावेज बंधक रख सकेगा।

4. आबंटिती सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को संदेय समस्त करों या अन्य प्रभारों का संदाय करने का दायी होगा।

संकल्प सं......... की अनुपालना में आज दिनांक............. को ग्राम पंचायत....... द्वारा जारी किया गया।

आबंटिती द्वारा निक्षिप्त करवायी गयी फीस के ब्यौरे।

रसीद सं. .... रकम ....

दिनांक .... रोकड़ बही का पृष्ठ सं. ....

हस्ताक्षर ग्राम विकास अधिकारी हस्ताक्षर सरपंच

अनुसूची

ग्राम का नाम ....

खसरा सं. ....

मानचित्र :- (मानचित्र में दर्शित भूमि लाल स्याही से सीमांकित है)

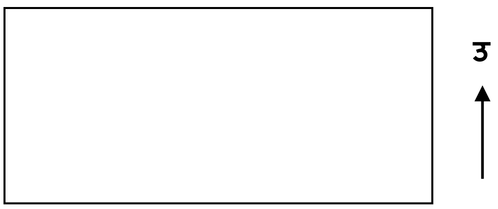

सीमांकन-

1. उत्तर ....
2. दक्षिण ....
3. पूर्व ....
4. पश्चिम ....

कुल क्षेत्र .... वर्ग गज (........................... वर्ग मीटर)

हस्ताक्षर ग्राम विकास अधिकारी हस्ताक्षर सरपंच

प्ररूप-23-ख

[नियम 157 (2) देखिये]

आबादी भूमि का आबंटन/परिवारों में के कब्जे के अस्थायी मकानों/
कच्चे मकानों का नियमितीकरण (पट्टा विलेख)।

ग्राम का नाम...................

ग्राम पंचायत....................

पंचायत समिति..................

जिला................ (राजस्थान)

यह आबंटन विलेख आज दिनांक .... को प्रथम पक्ष, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) के अधीन स्थापित पंचायत.................... (पंचायत का नाम), जो उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंधों के आधार पर निगमित निकाय है, जिसे इसमें इसके पश्चात् आबंटन प्राधिकारी कहा गया है, और द्वितीय पक्ष श्रीमती.......... पत्नी.......... निवासी........., जिसे इसमें इसके पश्चात् आबंटिती कहा गया है, के मध्य किया जाता है।

यत:

इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि, जो इसे लाल रंग में सीमाबद्ध दर्शित करती है, आबंटन प्राधिकारी में निहित है।

यतः आबंटिती के परिवार के पास कहीं भी कोई घर या निवास स्थल नहीं है और पूर्वोक्त भूमि पर वर्ष 2003 तक अस्थायी मकान/कच्चे मकान के संनिर्माण के रूप में आबादी भूमि का कब्जा है।

यतः ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप-नियम (2) के अधीन आबंटिती को भूमि आबंटित कर दी है और कब्जा सौंप दिया है।

यतः पंचायत इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित निबन्धनों और शर्तों पर उपर्युक्त भूमि, जिसकी माप..... वर्ग गज (अधिकतम 300 गज) है, आबंटित करने के लिए करार करती है।

और यतः पंचायत ने दिनांक....... को आबंटिती को पट्टांतरित भूमि का कब्जा सौंप दिया है।

अब यह विलेख निम्नानुसार रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करता है:

1. यह आबंटन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् किया जा रहा है।
2. ऐसी भूमि श्रीमती........ पत्नी .... को उसके आवेदन के संदर्भ में आवासीय प्रयोजन के लिए आबंटन प्राधिकारी द्वारा निःशुल्क आबंटित की गयी है।
3. इस प्रकार आबंटित भूमि आबंटन की तारीख से दस वर्ष के लिए आबंटिती या उसके विधिक वारिसों द्वारा किसी भी व्यक्ति को या तो विक्रय या अन्यथा द्वारा अंतरणीय नहीं होगी और शर्त संख्यांक 4 में उपबंधित के सिवाय आबंटिती के स्वयं के कब्जे में रहेगी।

4. आबंटिती सरकारी उपक्रम, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था से ऋण लेने के लिए दस्तावेज बंधक रख सकता है।

5. यह भू-खण्ड आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जा सकता है।

6. आबंटन प्राधिकारी के पास भूमि के आबंटन को रद्द करने का अधिकार आरक्षित है यदि आबंटिती द्वारा कोई मिथ्या जानकारी दी जाती है या यदि वह आबंटन की तारीख से दस वर्ष से पूर्व किसी व्यक्ति को भू-खण्ड का अंतरण कर देती है।

7. ग्राम के व्यवस्थित विकास हेतु ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित योजनाओं का अनुपालन करने के लिए आबंटिती आबद्ध होगी।

8. यदि आवेदक किसी शर्त या नियमों के किन्हीं उपबन्धों का अतिक्रमण करता है, तो आबंटन प्राधिकारी के पास आबंटन रद्द करने का अधिकार आरक्षित है। आबंटन रद्द करने से पूर्व आबंटन प्राधिकारी आबंटिती को सुनवाई का अवसर देगा।

9. आबंटिती सरकार और अन्य स्थानीय प्राधिकारी को संदेय समस्त करों या प्रभारों का संदाय करने का दायी होगा।

संकल्प सं......... की अनुपालना में आज दिनांक............. को ग्राम पंचायत....... द्वारा जारी किया गया।

हस्ताक्षर ग्राम विकास अधिकारी हस्ताक्षर सरपंच

अनुसूची

ग्राम का नाम ....

खसरा सं. ....

मानचित्र :- (मानचित्र में दर्शित भूमि लाल स्याही से सीमांकित है)

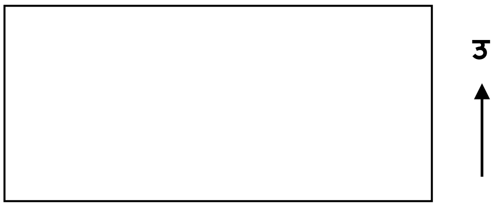

सीमांकन

1. उत्तर ....
2. दक्षिण ....
3. पूर्व ....
4. पश्चिम ....

कुल क्षेत्र .... वर्ग गज (............................ वर्ग मीटर)

हस्ताक्षर ग्राम विकास अधिकारी हस्ताक्षर सरपंच"

[सं.एफ.4(1)नियम/संशो/विधि/पंरा/2024/06]

राज्यपाल के आदेश से,

इन्द्रजीत सिंह,

शासन उप सचिव।

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ
(PANCHAYATI RAJ)
NOTIFICATION

Jaipur, January 17, 2025

G.S.R. :-In exercise of the powers conferred by section 102 of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) and all other powers enabling it in this behalf, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Rules, 2025.
(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Substitution of Form XXIII-A and XXIII-B.-The existing Form XXIII-A and XXIII-B appended to the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996 shall be substituted by the following, namely:-

"FORM-XXIII-A
[see rule 157(1)]
Patta of Residential Land(Lease Deed)

Name of Village ....
Gram panchayat ....
Panchayt samiti ....
District .... (Rajasthan)

This Deed is made on the.......day of................between............. (Name of Panchayat) Panchayat established under the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), hereinafter called the Alloting Authority of the one part and 1. .... 2. .... 3. ....so, on S/o,W/o,D/o .... resident of..........................., hereinafter called the allottee, of the other part.

WHEREAS

The land described in the Schedule annexed hereto which shows it as bound in red, vests in the Alloting Authority for the purpose of the Allotment.
This patta is issued in favour of Sh./Smt. 1. .... 2. .... 3. ....so, on S/o,W/o,D/o...resident of................... under sub-rule(1)of rule 157 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996 with following conditions:-
1. The aforesaid allottee is in possession of old houses constructed more than fifty years before the date of commencement of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996 or old houses constructed during the seventy years immediately preceding to date of 31st December, 2016 on Panchayat Abadi Land.
2. The area of land is marked in red ink in annexed map plan.
3. The allottee can mortgage the document for taking loan fromthe GovernmentUndertaking, Co-operative Bank, Commercial Bank or any other financialinstitution.
4. The allottee shall be liable to pay all taxes or other charges payable toGovernment or local authority.
Issued by Gram Panchayat..............on date .... in compliance of resolutionNo........................... .
Details of fee deposited by the allottee.
Receipt No. .... Amount ....

Date .... Page no. of Cashbook ....

Signature Gram Vikas Adhikari Signature Sarpanch

Schedule

Name of Village ....
khasra No. ....

Map:- (Land is shown in map is demarked in red ink)

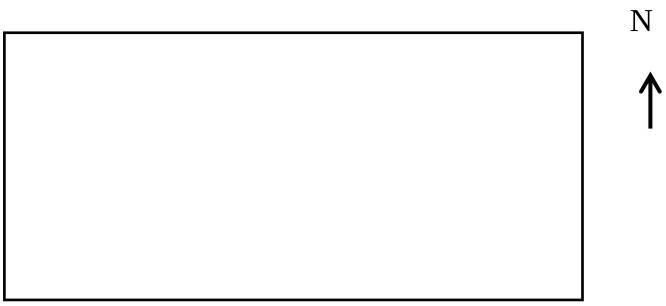

Demarcation-
1. North....................
2 South.......................
3. East...........................
4. West..........................
Total area...........Sq. Yard(.............Sq. Meter)

Signature Gram Vikas Adhikari Signature Sarpanch

FORM-XXIII-B

[see rule 157 (2)]

Allotment of Abadi Land/Regularisation of families possessing hutment/kucha(Lease Deed).

Name of Village ....

Gram Panchayat.......................

Panchayt samiti............................

District............................(Rajasthan)

This Deed of allotment is made on the.................day of....... between....................(Name of Gram Panchayat) Panchayat established under the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), being a body corporate by virtue of the provisions of section 9 of the said Act, hereinafter called the Alloting Authority, on the one

part and Smt............................ of........................W/o...................... resident..................... hereinafter called the allottee, of the other part.

WHEREAS

The land described in the Schedule annexed hereto which shows it as bound in red, vests in the Alloting Authority.

WHEREAS as family of allottee does not have any house or housing site any where and in possession of abadi land by way of construction a hutment/kutcha house upto year 2003 on the aforesaid land.

WHEREAS the Gram Panchayat has allotted and handed over possession of the land to the allottee under sub-rule (2) of rule 157 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996.

WHEREAS panchayat has agreed to allot above land measuring........Sq. yard (maximum 300 yards) on the terms and conditions hereinafter mentioned.

AND WHEREAS the Panchayat had handed over possession of the demised land to allotee on............. .

NOW THIS DEED WITNESSES AS FOLLOWS:

1. This allotment is being made after following the procedure laid down in the rules.
2. Such land has been allotted free of cost to Smt................ W/o...................... for residential purpose with reference to his application to the allotting authority.
3. The land so allotted shall not be transferable either by sale or otherwise to anyone by the allottee or her legal heirs for 10 years from the date of allotment and shall be in possession of allottee herself except provided is condition number 4.
4. The allottee can mortgage the document for taking loan from the Government Undertaking, Co-operative Bank, Commercial Bank or any other financial institution.
5. This plot can be utilized as residential purpose.
6. The allotting authority reserves the right to cancel the allotment of land ifany false information is given by the allottee or if she transfers the plot to any person before 10 years from the date of allotment.
7. The allottee shall be bound to comply with the plans approved by Gram Panchayat for systematic development of village.
8. Allotting authority reserves the right to cancel the allotment, if the applicant violates any condition or provisions of rules, Before cancellation of allotment the alloting authority shall given the opportunity of hearing to the allottee
9. The allottee shall be liable to pay all taxes or charges payable to Government and other local authority.

Issued by Gram Panchayat .... on date ....in compliance of resolution No....................... .

Signature Gram Vikas Adhikari Signature Sarpanch

Schedule

Name of Village ....
khasra No. ....

Map:- (Land is shown in map is demarked in red ink)

Demarcation-
1. North....................
2 South.......................
3. East...........................
4. West..........................
Total area...........Sq. Yard(.............Sq. Meter)

Signature Gram Vikas Adhikari Signature Sarpanch"

[NO.F.4(1)Rule/Amend/ Legal/PR/2024/06]
By Order of the Governor,
Indrajeet Singh,
Deputy Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.